भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1598

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

ई-कोर्ट

1598. श्री बृजेन्द्र सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार ने ई-कोर्ट पर व्यय किए जा रहे धन और इसके महत्व के मद्देनजर ई-कोर्ट नीति के कार्य और विभिन्न प्रकार के मुकदमों पर नीति के कार्यान्वयन के प्रभावों का आकलन करने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कोई योजना आने वाली है और क्या राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के पोर्टल का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : जी, हां । ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना चरण-2, न्याय विभाग द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है, के सहयोग से कार्यान्वित की जाती है । ई-न्यायालय परियोजना के कार्य और प्रभाव के निर्धारण हेतु मध्यावधि और अंत्यावधि बाह्य मूल्यांकन और आंकलन का उपबंध है ।

मध्यावधि आंकलन रिपोर्ट प्रारूप, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) से प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य टिप्पणी भी हैं,-

- **90-100%** नमूना न्यायालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर होने का उपबंध है और मामला सूचना तंत्र (सीआईएस) संस्थापित किए गए हैं ।

- सेवाएं, जैसे मामला सूचना तंत्र (सीआईएस), जस्टआईएस मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) वेबसाइट का अक्सर प्रयोग किया जाता है और यह एक सरल उपयोक्ता अंतरापृष्ठ है ।
- न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के बहुमत का यह मानना है कि निर्णयज विधियों तक सहज पहुंच के परिणामस्वरूप बेहतर अनुसंधान से ई-न्यायालय परियोजना ने मामलों के लंबन में कटौती की है ।
- पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों में धीमी परंतु लगातार कमी होना उपदर्शित हुआ है ।
- वर्ष 2017 से, जिला न्यायालयों की निपटान दर में भी तीव्र बढ़ोतरी पायी गई है ।

(ग) : उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

****